कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

पत्रांक २८८८ /वाद सं0 एल–0120/एस–डोईवाला/2026 दिनांक २४/१०, 2026

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

विपक्षी श्री बलदेव सिंह भगत सिंह कालोनी गली न0–6 बुल्लावाला तहसील डोईवाला देहरादून द्वारा बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये स्थल पर लगभग 5 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग हेतु सी.सी. सडक का निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वरा दिनांक 27.06.2026 को विपक्षी के विरूद्ध उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं का उल्लंधन किये जाने के कारण वाद संख्या एल–0120/एस–डोईवाला/2026 योजित किया गया। उक्त चालान शुदा अवैध निर्माण को दिनांक 02/11/2026 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु थानाध्यक्ष डोईवाला को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देषित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून

प्रतिलिपिः–

1:–नायब तहसीलदार डोईवाला को अपर जिला मस्ट्रेट (प्र0) देहरादून के पत्र संख्या 1205/विविध–जे0ए0/2024 दिनांक 17.11.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के दौरान चयनित स्थल पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है। कृपया उक्त तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाीह के दौरान उपस्थित रहें।

2:–थानाध्यक्ष ,डोईवाला को इस आशय से प्रेषित कि उक्त तिथि पर प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल) सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

3:– सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/नोटिस प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि उक्त तिथि को स्थल पर उपस्थित होकर ध्वस्त की कार्यवाही सम्पन्न करना सुनिश्चित करें ।

4:– नाजिर ,एम0डी0डी0ए0 देहरादून को इस निर्देष के साथ कि नियत तिथि को एक वाहन व जे.सी.बी. मशीन सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5:– श्री बलदेव सिंह भगत सिंह कालोनी गली न0–6 बुल्लावाला तहसील डोईवाला देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त स्थल पर अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया जाना है, शेष शर्ते पूर्व प्रेषित पत्र सं0 1552 दिनांक 21.09.2026 के अनुसार मान्य होगे।

6:– आई.टी. अनुभाग को सूचनार्थ।

सचिव 24/10/26
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून